FORM NO.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत :– जिला कलेक्टर पाली

अपीलांटः–	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
श्री जयसिंह मार्फत पुष्पक कोरियर, बस स्टेण्ड जैतारण, जिला पाली (राज.) 306302		सहायक लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) जैतारण

किस्म मुकदमा RTI APPEAL-- 44 /2019

R.C.M.S. No. --2019/00

अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2/5/19	अपीलांट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि कार्यालय सहायक लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) जैतारण द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाए जाने से अपील न्यायालय में पेश की गई है । अपील दर्ज रजिस्टर हो । रेस्पोडेन्ट अपना पक्ष रखने हेतु तलब होकर एवं सूचना अपीलाण्ट को दी जाकर पत्रावली दिनांक 29/5/19 को पेश हो। जिला कलेक्टर, पाली	610-11 6/5/19
29/05/2019	अपीलांट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि कार्यालय सहायक लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) जैतारण वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया जावे । अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर लोक सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने पर उन्होने जरिए पत्रांक लो.सू.अ./प्र.अ./2019/2681 दिनांक 14/05/2019 के इस न्यायालय को सूचित किया है कि अपीलांट द्वारा वांछित सूचना तहसीलदार जैतारण द्वारा जरिये पत्रांक:-लो.सू.अ./प्र.अ./2018/6918 दिनांक 19/12/2018 के एवं 1057 दिनांक 14/02/2019 के द्वारा सूचित कर दिया गया कि वांछित सूचना संधारित नही होने से उपलब्ध नही कराई जा सकती । P-21 रजिस्टर जब संधारित ही नही है तो ऐसी स्थिति मे प्रति उपलब्ध करवाया जाना संभव नही है । परिणामस्वरूप अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अपीलार्थी इस बाबत तहसीलदार के पत्र की प्रति के साथ सूचित किया जावे । पत्रावली इस न्यायालय से शुमार फैसल की जाकर नम्बर से कम हो । ज़िला कलक्टर, पाली	776 4/6/19